



क्रमांक : 5860/अका.का.प/2018

रायपुर, दिनांक, 20/02/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की छत्तीसवीं बैठक रविवार, दिनांक 25.02.2018
को मध्याह्न 12:00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 27.12.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृ.क्र. 01 से 7 तक)
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 27.12.2017 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.01.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृ.क्र. 08 से 09 तक)

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

4. वार्षिक एवं पूरक परीक्षा के लिये निम्नानुसार उत्तर पुस्तिका का मुद्रण छ.ग. संवाद से संपादित कराये जाने हेतु अनुमोदनार्थ। (पृ.क्र. 10)
मुख्य उत्तर पुस्तिका (24 पेज) - 10,00,000 - @ 5.104 प्रति उत्तर पुस्तिका
पूरक उत्तर पुस्तिका (16 पेज) - 6,00,000 - @ 3.40 प्रति उत्तर पुस्तिका
(छ.ग. संवाद का पत्र क्र. 5780/छ.ग.सं./प्रकाशन दिनांक 21.11.2017)
5. आगामी सत्र हेतु Pre & Post Examination works के लिये निविदा आमंत्रित किया गया है, की सूचना ग्रहण करना। (पृ.क्र. 11)

समाजशास्त्र अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव:-

6. समाजशास्त्र अध्ययनशाला का नाम परिवर्तित कर, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला किये जाने पर विचार करना। (पृ.क्र. 12)

प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

7. शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में अंकित सभी प्रविष्टियों को संसूचित किये जाने से संबंधित छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 9-2/2008/1-6 दिनांक 16.12.2010 को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना। (पृ.क्र.13 से 14 तक)
8. राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक एवं पुलिस वीरता पदक व अन्य वीरता पदक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों को छूट के संबंध में छ.ग. शासन गृह (सामान्य) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 7496/526/गृह-दो/विविध/2017 दिनांक 14.11.2017 के अनुसार पाठ्यक्रम में 5% आरक्षण एवं योग्यता परीक्षा पर न्यूनतम पात्रता अंकों में 5% रियायत दिये जाने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 15 से 20 तक)
9. विश्वविद्यालय के लिये स्वीकृत सेट-अप के तकनीकी अधिकारी एवं माइक्रोएनालिस्ट के पदों को परिनियम 20 में जोड़े जाने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 21 से 23 तक)

10. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.12.2017 के अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के न्यायालयीन प्रकरणों की सूचीबद्ध जानकारी सूचनार्थ प्रस्तुत। (पृ.क्र. 24 से 38 तक)
11. डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त, संचालक/प्रोफेसर का याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (एस) क्रमांक 1845/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विधिक सहमति प्राप्त किया गया, जो अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत। (अपील क्र. 558/2017) (पृ.क्र. 39)

गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-


12. अध्यादेश क्रमांक 05 की धारा 21 की उपधारा 06 (ए) के अंतर्गत अनुचित साधन निराकरण (UFM) समिति के गठन पर विचार करना। (पृ.क्र. 40)
- (1) एक सदस्य - कार्यपरिषद् सदस्यों से
- (2) एक सदस्य - विभिन्न संकाय के सदस्यों से
- (3) एक सदस्य - विद्यापरिषद् के सदस्यों से
13. Question Paper Pattern बदलने के कारण Question Paper Reform Committee द्वारा प्रस्तावित पारिश्रमिक के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 41)

कम्प्यूटर अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव:-

14. विश्वविद्यालय सर्वर AMC कार्य हेतु फर्म मेसर्स Key Computer Nagpur को कार्यादेश जारी करने के संबंध में। (पृ.क्र. 42)

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

15. च्वाइस बेस्ड पाठ्यक्रम के विनियम का अनुमोदन के संबंध में। (पृ.क्र. 43)
16. कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।
17. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।


कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 5861 / अका.का.प / 2018
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक, 20/02/2018

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
- जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं० रविशंकर शुक्ल वि०वि०, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका०)





NAAC ACCREDITED "A"

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक: 5547/अका./का.प./2017

रायपुर, दिनांक : 2/1/2017

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की पैंतीसवीं* बैठक बुधवार, दिनांक 27.12.2017 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष

- | | |
|--|--|
| 1. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती – सदस्य | 7. डॉ. नरेन्द्र पटनायक – सदस्य |
| 2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा – सदस्य | 8. श्री चन्द्र कुमार चन्द्राकर – सदस्य |
| 3. डॉ. के.एल. वर्मा – सदस्य | 9. डॉ. डी.एन. वर्मा – सदस्य |
| 4. डॉ. एच.के. पाठक – सदस्य | 10. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता – सदस्य |
| 5. डॉ. सोम कुमार चटर्जी – सदस्य | 11. श्री नवीन मार्कण्डेय – सदस्य |
| 6. डॉ. चन्द्र शेखर चौबे – सदस्य | |

डॉ. संदीप वानसूत्रे कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 05.10.2017, 16.10.2017 एवं 28.11.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : कार्यपरिषद् की आपातिक बैठक दिनांक 16.10.2017 में लिये गये निर्णय में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13(2)(i) में निहित प्रावधानानुसार कुलपति चयन हेतु सदस्य के 'मनोनयन' के स्थान पर 'निर्वाचित' किये जाने की सम्पुष्टि की गई। कार्यपरिषद् की बैठकों दिनांक 05.10.2017, 16.10.2017 एवं 28.11.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 05.10.2017, 16.10.2017 एवं 28.11.2017 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2017, 16.10.2017 एवं 28.11.2017 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
3. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
4. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त का इस शर्त के साथ कि पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता बनाये रखने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा किये जाने के साथ अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

5. पूरक परीक्षा अक्टूबर (अक्टूबर-नवम्बर) 2017 हेतु 44 परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा अग्रिम राशि रु. 8,80,000=00 (आठ लाख अस्सी हजार रुपये) भुगतान की अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : पूरक परीक्षा अक्टूबर (अक्टूबर-नवम्बर) 2017 हेतु 44 परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा अग्रिम राशि रु. 8,80,000=00 (आठ लाख अस्सी हजार रुपये) भुगतान की अनुमोदन कर सूचना ग्रहण की गई।
6. डॉ. अब्दुल अलीम खान, सेवानिवृत्त आचार्य, विधि अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपये 14,73,584.00 (चौदह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ चौरासी रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय : डॉ. अब्दुल अलीम खान, सेवानिवृत्त आचार्य, विधि अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपये 14,73,584.00 (चौदह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ चौरासी रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
भविष्य में शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके स्वत्वों का अविलंब भुगतान कर, कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाय।
7. विभिन्न समितियों में मनोनीत विषय विशेषज्ञों को 1000=00 सीटिंग फीस प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विभिन्न समितियों में मनोनीत विषय विशेषज्ञों को 1000=00 सीटिंग फीस प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।

प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

8. (i) 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत शैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन के पत्र क्रमांक 3-9/2017/38-2 दिनांक 11.10.2017 के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत 10 शैक्षणिक (1 एसोसिएट प्रोफेसर + 9 असिस्टेंट प्रोफेसर) पदों की वचनबद्धता इस शर्त पर सहमति प्रदान की गई है कि इन पदों पर योजना समाप्ति के उपरांत आने वाले व्यय को विश्वविद्यालय स्वयं वहन करेगा। सूचना ग्रहण की गई।
- (ii) मूल विज्ञान केन्द्र के लिये स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2017/38-2 दिनांक 6 नवंबर 2017 के द्वारा कुल 23 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। शैक्षणिक के 16 पद (प्रोफेसर-4, सह प्राध्यापक-4, सहायक प्राध्यापक-8) एवं अशैक्षणिक के 7 पद की सूचना ग्रहण की गई।
- (iii) गुरु घासीदास शोधपीठ के लिये स्वीकृत पदों की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन के पत्र क्रमांक 19-19/2017/38-2 दिनांक 31.10.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित गुरु घासीदास शोध पीठ हेतु 3 पदों की सृजन (अध्यक्ष-1 पद, सहायक ग्रेड 3- 1 पद, भृत्य-1 पद कुल 03 पद) की स्वीकृति का सूचना ग्रहण की गई।



9. सुश्री माण्डवी साहू, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के त्याग पत्र पर विचार करना।
निर्णय : सुश्री माण्डवी साहू, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का त्यागपत्र दिनांक 03.11.2017 से स्वीकार किया जाता है तथा नियमानुसार 03 माह का वेतन विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक से 15 दिनों के अंदर तक जमा करने हेतु पत्र लिखा जाये अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उनको देय स्वत्वों से तीन माह का वेतन का समायोजन कर लिया जाए।
10. श्री जानकी प्रसाद शर्मा, बर्खास्त निम्न वर्ग लिपिक के प्रकरण पर विचार करना।
निर्णय : श्री जानकी प्रसाद शर्मा, बर्खास्त निम्न वर्ग लिपिक के प्रकरण पर विचार किया गया, कार्यालय उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा विशेष ऑडिट कराई जा रही है। विशेष ऑडिट की प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
11. डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक, प्रौढ़ शिक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की सूचना ग्रहण कर, उनके दायित्वों का भुगतान किये जाने पर विचार करना।
निर्णय : डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक, प्रौढ़ शिक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की सूचना ग्रहण की गई तथा प्रकरण पर विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार से अभिमत प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया।
12. श्री चन्द्र प्रकाश राठौर, ग्रेड-3 का वेतनमान संशोधन के संबंध में।
निर्णय : उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर के पत्र क्रमांक DDAR/3/सत्यापन/20152273 दिनांक 09.10.2017 के आधार पर श्री चन्द्र प्रकाश राठौर, ग्रेड-3 का वेतनमान 5200-20200+ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर वेतनमान 5200-20200+ग्रेड वेतन 2400 संशोधन हेतु कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।

पुनर्मूल्यांकन एवं गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

13. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2017 के निर्णयानुसार पुनः पुनर्मूल्यांकन (Pannel Valuation) के पश्चात् अपीलीय निकाय हेतु छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क, विषय-विशेषज्ञों के मानदेय, आवेदन पत्र तथा रिपोर्ट के लिये प्रारूप पर विचार करना।
निर्णय : पुनः पुनर्मूल्यांकन (Pannel Valuation) के पश्चात् अपीलीय निकाय हेतु 1500/- प्रति प्रश्नपत्र शुल्क का निर्धारण किया गया एवं आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रक्रिया निर्देशों का अनुमोदन किया गया।



14. पुनर्मूल्यांकन समन्वयक के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : दिनांक 24.08.2017 को सम्पन्न कार्यपरिषद् की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डॉ. व्यास नारायण दुबे, समन्वयक, पुनर्मूल्यांकन को दिनांक 25.08.2017 को निलंबित किया गया तथा दिनांक 05.10.2017 को आरोप पत्र सौंपा गया।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2017 के द्वारा पुनर्मूल्यांकन समन्वयक के लिये गठित जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.09.2017 को विश्वविद्यालय प्रशासन विभाग को जमा कर दी गई थी। इस रिपोर्ट को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुति मानते हुए एवं रिपोर्ट के अंतिम पैरा जो कि इस प्रकार है—

“समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि पुनर्मूल्यांकन कार्य में भारी पैमाने में गड़बड़ी हुई एवं भुगतान फर्जी प्रतीत होते हैं। इसे देखते हुए समिति अनुशंसा करती है कि पुनर्मूल्यांकन कार्य के प्रभारी समन्वयक डॉ. व्यास नारायण दुबे, एवं सहायक समन्वयक डॉ. शिबानी बासु (जबलपुर) के विरुद्ध विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जाए।”

का अनुमोदन कर तदनुसार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिनांक 05.10.2017 को जारी आरोप पत्र को आधार मानकर, एक सदस्यीय जाँच अधिकारी नियुक्त किये जाने एवं गोपनीय विभाग से प्रस्तुतीकरण अधिकारी मनोनीत करने का निर्णय लिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में श्री मोहन पवार, आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर को जाँच अधिकारी नियुक्त किये जाने एवं गोपनीय विभाग से श्री के.एस. कश्यप को प्रस्तुतीकरण अधिकारी, मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।

परीक्षा से संबंधित प्रस्ताव:-

15. बी.ए. एवं एम.ए. के अंक सूची एवं उपाधि को निरस्त करने हेतु श्री कमलेश कुमार साहू के आवेदन दिनांक 30.10.2017 पर विचार करना।

निर्णय : बी.ए. एवं एम.ए. के अंक सूची एवं उपाधि को निरस्त करने हेतु श्री कमलेश कुमार साहू के आवेदन दिनांक 30.10.2017 को अमान्य किया गया। भविष्य में ऐसे प्रकरण की बगैर पूर्व परीक्षण के प्रस्तुत न किया जाए।

16. विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में किये गये निर्णय के प्रस्ताव क्रमांक 8 उपाधि वितरण की योजना के संबंध में।

निर्णय : विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में किये गये निर्णय के प्रस्ताव क्रमांक 8 उपाधि वितरण की योजना के संबंध में इस हेतु अगली समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ रखे जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

17. सत्र 2017-18 के लिये (सेमेस्टर एवं वार्षिक) परीक्षा केन्द्रों की सूची का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : सत्र 2017-18 के लिये (सेमेस्टर एवं वार्षिक) परीक्षा केन्द्रों की सूची का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण की गई।

कम्प्यूटर अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव:-

18. PRSU Servers and Antivirus Server (400 Users) की मौजूदा वार्षिक रख-रखाव को आगामी 3 माह नवम्बर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक कुल राशि रुपए 1,63,425=00 (सभी करों सहित एक लाख तिरसठ हजार चार सौ पच्चीस रुपए) बढ़ाये जाने पर विचार करना।
निर्णय : PRSU Servers की मौजूदा वार्षिक रख-रखाव को आगामी 3 माह नवम्बर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक कुल राशि रुपए 1,63,425=00 (सभी करों सहित एक लाख तिरसठ हजार चार सौ पच्चीस रुपए) बढ़ाये जाने का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

19. वर्ष 2017 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य देयक राशि रु. 11,57,064=00 M/S. Learning Spiral PVT. LTD Kolkata को भुगतान की स्वीकृति बाबत।
निर्णय : वर्ष 2017 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य देयक राशि रु. 11,57,064=00 M/S. Learning Spiral PVT. LTD Kolkata को भुगतान की स्वीकृति दी गई तथा इस बाबत पूर्ण विवरण अगली बैठक में रखने हेतु आदेशित किया गया।
20. सेमेस्टर परीक्षा हेतु 2 लाख उत्तर पुस्तिका OMR Sheet सहित संवाद से निम्नलिखित दर पर कार्य संपादित कराने हेतु स्वीकृति के संबंध में –
32 पृष्ठ उत्तर पुस्तिका- रु. 6.743/-
OMR Sheet - रु. 0.66/-
निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा हेतु 2 लाख उत्तर पुस्तिका OMR Sheet सहित संवाद से निम्नलिखित दर पर कार्य संपादित कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई-

32 पृष्ठ उत्तर पुस्तिका- रु. 6.743/-
OMR Sheet - रु. 0.66/-

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

21. महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।
निर्णय : महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर में प्राचार्य पद हेतु डॉ. (श्रीमती) सोनाली एन. चन्नावार की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।



यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

22. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 30.10.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 30.10.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.11.2017 में Institute of Eminence के लिये यू.जी.सी. नई दिल्ली को 1 करोड़ आवेदन शुल्क आवेदन हेतु सहमति प्रदान की गई। जिसके अनुसार Institute of Eminence के आवेदन शुल्क राशि रु. 1 करोड़ (एक करोड़) आवेदन के साथ Proposal for Institute of Eminence की एक प्रति विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक R/Q1/2017 दिनांक 09.12.2017 The Secretary Department of Higher Education, MHRD ICR Division Shastri Bhawan, New Delhi-110001 को प्रेषित की गई आवेदन का अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.11.2017 में Institute of Eminence के लिये यू.जी.सी. नई दिल्ली को 1 करोड़ आवेदन शुल्क आवेदन हेतु सहमति प्रदान की गई। जिसके अनुसार Institute of Eminence के आवेदन शुल्क राशि रु. 1 करोड़ (एक करोड़) आवेदन के साथ Proposal for Institute of Eminence की एक प्रति विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक R/Q1/2017 दिनांक 09.12.2017 The Secretary Department of Higher Education, MHRD ICR Division Shastri Bhawan, New Delhi-110001 को प्रेषित की गई आवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

2. माँ बंजारी देवी ट्रस्ट समिति में पदेन अध्यक्ष रेक्टर की अनुपस्थिति में कार्यपरिषद् द्वारा 01 सदस्य का मनोनयन पर विचार करना।

निर्णय : माँ बंजारी देवी ट्रस्ट समिति के लिए विनियम का अनुमोदन करते हुए पदेन उपाध्यक्ष रेक्टर नहीं होने के कारण, उपाध्यक्ष पद पर कार्यपरिषद् द्वारा माननीय विधायक श्री नवीन मार्कण्डेय जी का मनोनयन किया गया।

3. सत्र 2017-18 की बजट में सोलर पावर प्लांट सिस्टम के स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये प्रावधानित बजट से विश्वविद्यालय परिसर में सोलर पावर प्लांट हेतु 500 MW, Soler Energy Corporation of India के द्वारा स्थापित किये जाने की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : सत्र 2017-18 की बजट में सोलर पावर प्लांट सिस्टम (500 MW) के स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये प्रावधानित बजट से विश्वविद्यालय परिसर में सोलर पावर प्लांट की विस्तृत योजना, आगामी कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।



4. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.12.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.12.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

1. कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के न्यायालयीन प्रकरणों की सूचीबद्ध जानकारी आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत की जाए।

अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 5548 /अका./का.प./2017
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 2/1/2018

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"



क्रमांक : 5719 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2018

रायपुर, दिनांक: 24 / 01 / 2018

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 08.01.2018 अपराह्न 04.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	–	सदस्य
3. डॉ. राजीव चौधरी	–	सदस्य
4. डॉ. एच.के. पाठक	–	सदस्य
5. डॉ. बशीर हसन	–	सदस्य
6. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
7. डॉ. विजय अग्रवाल	–	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	–	सदस्य
9. डॉ. सी.एल. पटेल	–	सदस्य
10. डॉ. (श्रीमती) वासु वर्मा	–	सदस्य
11. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ	–	सदस्य
12. डॉ. संदीप वानसूत्रे कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कार्यवृत्त :-

01. संशोधित अध्यादेश-45 के क्रियान्वयन एवं शोध कार्य हेतु प्रक्रिया का निर्धारण हेतु विचार करना।

निर्णय: 1. शोध निर्देशक तथा सह-निर्देशक का निर्धारण-

Sr. No.	Name of Post	No. of Seats	Reservation			
			ST	SC	OBC	UR
01	Professor	8	3	1	1	3
02	Associate Professor	6	2	1	1	2
03	Assistant Professor	4	1	NIL	1	2

उपरोक्त के साथ ही सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होगा।

2. ऐसे शोध निर्देशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं है, उनके अधीन शोध छात्र का पंजीयन शोध निर्देशक के नजदीकी शोध केन्द्र में अथवा विश्वविद्यालय परिसर स्थित शोध केन्द्र में किया जावेगा तथा शोधार्थी को शोध केन्द्र में एक सह-निर्देशक लेना होगा।

3. वर्ष 2017 में कोर्स वर्क पूर्ण कर चुके ऐसे शोध छात्र जिनके शोध निर्देशक/शोध केन्द्र दुर्ग विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में है, उनकी शोध रूपरेखा पंजीयन हेतु विचारार्थ पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शोध उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी एवं इनका पंजीयन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में दिया जावेगा।
4. शिक्षा संकाय में पी-एच.डी. हेतु इस विश्वविद्यालय के सीमांतर्गत कोई भी शोध केन्द्र नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के अध्यापक शिक्षा संस्थान को शोध केन्द्र बनाने पर समस्त संकायाध्यक्षों ने सहमति प्रदान किया।
5. अध्यादेश 45 के पैरा 8 के अनुसार निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान में **Scientist/Director/Research Officer/Supervisor/Co-Supervisor, RDC** के अनुशंसा के आधार पर हो सकेंगे तथा उनके साथ एक **Supervisor/Co-Supervisor** विश्वविद्यालय से भी लेना होगा।
6. पूर्व से पंजीकृत छात्र संशोधन पूर्व अध्यादेश के अधीन ही संचालित होंगे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 5720 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2018

रायपुर, दिनांक: 24/01/2018

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कृ.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :-वार्षिक/पूरक परीक्षा/सेमेस्टर परीक्षा के लिये उत्तर पुस्तिका का मुद्रण छ.ग. संवाद से कराये जाने के संबंध में।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा सत्र 2017-18 में आयोजित किये जाने वाले वार्षिक, पूरक, सेमेस्टर परीक्षा के लिये उत्तर पुस्तिकाएँ एवं OMR Sheet का मुद्रण छ.ग. संवाद के माध्यम से कराया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र०	उ०पु० का विवरण	विवरण			
		पेपर साइज	पुस्तिका की पृष्ठ संख्या	पेपर की गुणवत्ता	अनुमानित संख्या
01.	मुख्य उत्तर पुस्तिका	9"X11"	24 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में मुद्रण (नंबरिंग, पंचिंग एवं परफोरेशन सहित)	10,00,000=00 (दस लाख)
02.	पूरक उत्तर पुस्तिका	9"X11"	16 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में मुद्रण (नंबरिंग, पंचिंग एवं परफोरेशन सहित)	6,00,000=00 (छः लाख)
03.	सेमेस्टर परीक्षा के लिये उत्तर पुस्तिका	A4 Size (i)Horizontal (ii)Vertical	30 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में मुद्रण (नंबरिंग, पंचिंग एवं परफोरेशन सहित)	आवश्यकता अनुसार मुद्रण कराया जावेगा।
04.	सेमेस्टर परीक्षा के लिये OMR Sheet	A4 Size (i)Horizontal (ii)Vertical	प्रति पृष्ठ		आवश्यकता अनुसार मुद्रण कराया जावेगा।

उपरोक्त दर्शित संख्या में उत्तर पुस्तिका का मुद्रण छ.ग. संवाद से कराये जाने के लिये स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

छ.ग. संवाद से पूर्व वर्ष में वार्षिक/पूरक परीक्षा 2017 के लिये मुख्य उत्तर पुस्तिका 13,50,000=00 (तेरह लाख पचास हजार) एवं पूरक उत्तर पुस्तिका 6,00,000=00 (छः लाख) मुद्रण कराया गया था जिस पर कुल रू.92,15,250=00 (बयानबे लाख पंद्रह हजार दो सौ पचास) मात्र व्यय हुआ था।

[Handwritten Signature]
14-11-17

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
जनसम्पर्क संचालनालय के पास, छोटापारा
रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4048828,2236994 फैक्स-4224220

क्रमांक/5780/छ.ग.सं./प्रकाशन
प्रति,

रायपुर, दिनांक 21/11/2017

उपकुलसचिव (विकास)
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु दर की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र./317/विकास/2017 रायपुर, दिनांक 14/11/2017


विषयसंबन्धी लेख हैं कि उपरोक्त मुद्रण हेतु दर की जानकारी निम्न है:

विवरण	संख्या	दर
मुख्य उत्तर पुस्तिका साईज : 9" X 11" क्वालिटी : 24 पेज 80 GSM मैपलिथो पेपर एककलर मुद्रण नंबरिंग, परफोरेशन सहित।	10,00,000 नग	@5.104/- प्रति नग
पूरक उत्तर पुस्तिका साईज : 9" X 11" क्वालिटी : 16 पेज 80 GSM मैपलिथो पेपर एककलर मुद्रण नंबरिंग, परफोरेशन सहित।	6,00,000 नग	@3.46/- प्रति नग
सेमेस्टर उत्तर पुस्तिका साईज : 9" X 11" क्वालिटी : 32 पेज 80 GSM मैपलिथो पेपर एककलर मुद्रण नंबरिंग, परफोरेशन सहित।	50,001 नग से अधिक	@6.743/- प्रति नग
ओ.एम.आर शीट साईज : 9" X 11" क्वालिटी : 120GSM मैपलिथो पेपर एककलर मुद्रण	1000 से 5000 नग	@1.023/- प्रति नग
	5001 से 10000 नग	@0.83/- प्रति नग
	10001 से 20000 नग	@0.825/- प्रति नग
	20001 से 50000 नग	@0.825/- प्रति नग
	50001 से 100000 नग	@0.66/- प्रति नग
	100001 से 200000 नग	@0.66/- प्रति नग
	200001 से अधिक नग	@0.55/- प्रति नग

ओ.एम.आर शीट सिलाई हेतु दर	1000 से 10000 नग	@0.35/- प्रति नग
	10001 से 20000 नग	@0.275/- प्रति नग
	20001 से 100000 नग	@0.22/- प्रति नग
	100001 से 200000 नग	@0.176/- प्रति नग
	200001 से अधिक नग	@0.165/- प्रति नग

- टॉप :- (1) मुद्रण सख्या एव पेज सख्या म पारवर्तन हान पर दर पारवर्तन हागा।
 (2) उत्तर पुस्तिका में छिद्रण होने पर प्रति उत्तर पुस्तिका राशि रु.0.121/- अतिरिक्त देय होगा।

उपरोक्त दरों के अलावा शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. 18 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। कृपया उपरोक्त दरों पर सहमति प्रदान कर हमें जल्द से जल्द मुद्रण कार्यादेश प्रदान करें। त्रिस्तसे मुद्रण/प्रकाशन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।


 अति.मु. का. पा. अधिकारी
 छत्तीसगढ़ सवाट रायपुर

विषय : आगामी सत्र हेतु Pre & Post Examination works के लिये निविदा आमंत्रित किया गया है, की सूचना ग्रहण करना।

= 0 =

टीप : परीक्षा कार्य के लिये परीक्षा पूर्व एवं परीक्षोपरांत कार्य हेतु निविदा जारी करने के लिये समिति गठित क गई जिसमें निम्नांकित सदस्य थे –

1. डॉ. एस.के. त्रिपाठी, कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग
2. श्री विकास पंचाक्षरी, विशेष कर्तव्यवस्था अधिकारी (क्रय) दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग
3. डॉ. एच. विकरोल विभागाध्यक्ष, एम.सी.ए. एवं उपकुलसचिव (परीक्षा) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) रायपुर
4. श्री एस.के. जाधव, संयोजक
5. श्री एस.एस. खंगन, सह संयोजक

उपरोक्त में से क्रमांक 3 को छोड़कर सभी उपस्थित हुए एवं निविदा जारी करने के लिये अंतिम रूप दिया गया जिसे दिनांक 13.02.2018 को संवाद के माध्यम से विज्ञापित किया गया।


20.2.18

आज दिनांक 25/9/2017 को विभागीय समिति की बैठक हुई जिसमें समिति द्वारा पूर्वमंजिये गये निर्णयों की संपुष्टि की गई।

आज की बैठक में निम्न निर्णय लिया गया

① समाजशास्त्र अध्ययन शाला में समाज कार्य स्वातंत्र्योत्तर पाठ्यक्रम का संचालन स.स. 2011 से संचालित हो रहा इसके आकार, क्रमिक महत्व को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र अध्ययन शाला का नाम परिवर्तित करने के विषय में चर्चा कर समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययन शाला पं. 20 शुरू कर रायपुर करने के लिए कार्य परिषद में प्रस्ताव मैट्रि लाते का निर्णय लिया गया।

② विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3167/स्था/सा.पशा/2017 रायपुर दिनांक 28/8/2017 के तारतम्य में श्री सतीश कुमार साह अतिथि शिक्षक MSW की नियुक्ति एक माह के लिए थी जो 28.8.2017 से 27.9.2017 तक थी। इसी आदेश में पुनर्नियुक्ति हेतु अध्ययन समाजशास्त्र अ.शा. को अधिकृत किया गया है। इस तारतम्य में एक दिन अंतराल पश्चात (दिनांक 28.9.2017 से 2.10.2017 तक दशहरा छिवकाश पश्चात) 3.10.2017 से 2.11.2017 तक पूर्व आदेश के शर्तानुसार पुनः आदेश प्रसारित करने का निर्णय लिया गया।

forwards
25/09/2017

School of Sociology
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur - 491004, INDIA

प्रो. पी. के. शर्मा
(अध्यक्ष Staff Council)

डॉ. जे. एल. तिवारी
(सदस्य)
25.9.2017

डॉ. एल. एस. गजपाल

डॉ. एन. कुजुर डॉ. एच. नोकर

13

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492001

क्रमांक एफ 9-2/2008/1-6
प्रति,

रायपुर, दिनांक 16/12/2010

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में अंकित सभी प्रविष्टियों को संसूचित किया जाना।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 5-4/98/एक/9, दि.13 जनवरी, 1999.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 13.1.1999 में शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने एवं गोपनीय चरित्रावली में अंकित सुझावात्मक/प्रतिकूल टीकाओं को संसूचित करने के संबंध में निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं तथा गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना एवं प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण की कार्यवाही के संबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1-7 में एवं इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-12/82/का.प्र.सू. दिनांक 25 मई, 1982 एवं क्रमांक एफ 5-5/90/49/9, दिनांक 20 नवम्बर, 1990 में समुचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 7631/2002 - देवदत्त विरूद्ध केन्द्र शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.5.2008 में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सिविल, न्यायाधिक, पुलिस या राज्य की अन्य सेवा (मिलिट्री को छोड़कर) के लोक सेवकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाओं को चाहे वह घटिया/औसत/अच्छी/बहुत अच्छी अथवा उत्कृष्ट हों, उन्हें संसूचित की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांत आदेशात्मक (Mandatory) है अतः उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

3/ अतएव, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन के सभी विभाग, विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/निगम/मण्डल/आयोग/अभिकरण कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जब अंतिम मतांकन के उपरांत उन्हें संधारित करने वाले अधिकारी अर्थात् कस्टोडियन अधिकारी को प्राप्त होंगे तब वह संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसके गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाएं उन्हें एक निश्चित समयावधि में संसूचित करेगा एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को टीकाओं की संसूचना प्राप्त होने पर, उसकी प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित समयावधि में उन टीकाओं के संबंध में सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

1031

तथा सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसके द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित समयावधि में उसका निराकरण समुचित रीति से किया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यावेदन पर लिए गए अंतिम निर्णय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भी सूचित किया जाएगा।

4/ उपरोक्त निर्णयानुसार चूंकि अब अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की सभी टीकाएं संसूचित की जाएंगी, अतः गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीकाएं पृथक से संसूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5/ अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की सभी टीकाएं संसूचित करने, उसके विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने, सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निराकरण करने एवं अंतिम निर्णय से संबंधित को सूचित करने के संबंध में प्रक्रिया एवं समयावधि वही रहेगी, जैसी कि सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1-7 में एवं इस विभाग द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों में प्रतिकूल टीकाओं की संसूचना एवं उनके विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए निर्धारित है।

6/ शासन के सभी विभाग कृपया सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्णय का पालन उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों व उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों, तथा सभी निगम/मण्डल/आयोग/अभिकरण कार्यालयों में अनिवार्य रूप से किया जाए।

(के.आर.मिश्रा)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर, दिनांक 16/12/2010

पृष्ठांक. एफ 9-2/2008/1/6

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, रायपुर।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़।
6. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
7. आंध्रपीठ आसुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिव, मंत्रालय, रायपुर।
10. समस्त आयोग/निगम/मण्डल/अभिकरण कार्यालय, छत्तीसगढ़।
11. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका

(15)

विषय :- राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक एवं पुलिस वीरता पदक व अन्य वीरता पदक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में 5 प्रतिशत सीटों पर आरक्षित प्रावधान तथा योग्यता परीक्षा में न्यूनतम पात्रता अंकों में 5 प्रतिशत रियायत करने का प्रस्ताव विचारार्थ।

गृह सचिव भारत सरकार से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र(संलग्न) के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1165/12/आउशि/सम/2017 दिनांक 15.12.2017 के अनुसार, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक एवं पुलिस वीरता पदक व अन्य वीरता पदक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों एवं उनके बच्चों एवं विधवाओं को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत सीटों पर आरक्षित प्रावधान है तथा योग्यता परीक्षा में भी न्यूनतम पात्रता अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की रियायत है।

उक्त प्रावधान को सभी केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, राज्य सरकार को भी अपनाने की सलाह दी गई है। तदसंबंध में उच्च शिक्षा संचालनालय के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त निर्देश के तारतम्य में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक एवं पुलिस वीरता पदक व अन्य वीरता पदक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों एवं उनके बच्चों व विधवाओं को विश्वविद्यालय में संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत सीटों पर आरक्षित प्रावधान है तथा योग्यता परीक्षा में न्यूनतम पात्रता अंकों में रियायत दिये जाना प्रस्तावित है।

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।


Deputy Registrar (Admin.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)

(16)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

---000---

क्रमांक/1165/112 /आउशि/ सम/2017
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 15 /12/ 2017

कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय
छ.ग. ।

विषय :- राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक एवं पुलिस वीरता पदक व अन्य वीरता पदक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों को छूट के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 5602/3874/ 17/38-1 नया रायपुर दिनांक 28.11.2007
2. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 7496/526/गृह-दो/विविध/2017 दिनांक 14.11.2017

---00---

उपर्युक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है, कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

R. 2806
23/12/17

पृक्रमांक/1166 /112 /आउशि/ सम/2017
प्रतिलिपि :-

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 15 /12/ 2017

3633/म.प्र.शा.
27.12.17

DR (Admin)

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर ।
DR (Admin)
23/12/2017

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

17

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

No.: L-2017/03273
AD/...../...../DD (A.)
Section 4/4/4
2 nd 8 NOV 2017 C.H.E.

क्रमांक 5602 / 3874 / 17 / 38-1

नया रायपुर, दिनांक 8/11/2017

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक एवं पुलिस वीरता पदक व अन्य वीरता पदक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों को छूट के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 7496/526/गृह-दो/विविध/2017, दिनांक 14.11.2017 मय सहपत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक 3874/आ०/17/36-1
उच्च शिक्षा विभाग
दिनांक 20/11/17

18

H. Sec.
H.E.
17/11/17

छत्तीसगढ़ शासन,
गृह(सामान्य)विभाग,
मंत्रालय,

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 7496
प्रति,

/526/गृह-दो/विविध/2017, नया रायपुर,

दिनांक 14/11/2017

1. अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर।

V.S.:
J.S. Chakraborty
20/11/17

R.
20/11/2017

विषय:- राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक एवं पुलिस वीरता पदक व अन्य वीरता पदक प्राप्त अधिकारी / कर्मचारियों को छूट के संबंध में।

---0---

विषयान्तर्गत श्री राजीव गोबा, गृह सचिव, भारत सरकार से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक D.O. No. 12015/44/2017-K.IV, दिनांक 05.10.2017 मय सहपत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक एवं पुलिस वीरता पदक व अन्य वीरता पदक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों एवं उनके बच्चों व विधवाओं को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत सीटों पर आरक्षित प्रावधान है तथा योग्यता परीक्षा में भी न्यूनतम पात्रता अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की रियायत है।

उक्त प्रावधान को सभी केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, स्वायत्त, पेशेवर/गैर-पेशेवर संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकार को भी अपनाने की सलाह दी गई है। तत्संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर अवगत कराने का लेख किया गया है।

अतः आदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया तत्संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को अवगत कराते हुए इस विभाग को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(कर्मला लकड़ा)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, गृह विभाग,

Rajiv Gauba



गृह सचिव
HOME SECRETARY
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

North Block,
New Delhi.

TO CHIEF SECRETARY
Govt. of Chhattisgarh
Form. No. 13496
Date 31 OCT 2017

पंजी क्रमांक 526
दिनांक 07/11/17

30 OCT 2017
PS, Home

5th October, 2017

D.O. No.12015/44/2017-K.IV

Dear Chief Secretary

As you are aware, President's Police Medal for Gallantry and Police Medal for Gallantry are awarded for conspicuous gallantry to the member of Police Forces, Central Armed Police Forces/Security Organisations.

2. It is understood that Delhi University has an existing provision of reserving 5% seats in each of their courses and gives concession of 5% marks in the minimum eligibility requirements in the qualifying examinations to the children/widows of eligible personnel of Security Forces (copy enclosed).

3. It is eminently worth consideration that all the Central/State Universities, Autonomous Professional/Non-Professional Institutions under the purview of the Ministry of Human Resource Development, Ministry of Health & Family Welfare as well as the State Government be advised to adopt a similar policy.

4. I will be grateful if you could kindly issue necessary instructions and also keep us suitably apprised.

Yours sincerely,

Yours sincerely,
(Rajiv Gauba)

Encl: as above

Shri Vivek Kumar Dhand
Chief Secretary
Government of Chhattisgarh,
Mahanadi Bhawan,
Mantralaya,
Naya Raipur-492002

2 NOV 2017
DS/m

Pl. send to
ACS (Higher Edu), AC
PS (Health), 300
BWS
31 OCT 2017

10/66
31 OCT 2017

3359
31/11/17

1744/CS
31 OCT 2017

20

Annexure

Order of Priority for admission of candidates belonging to children/widows of eligible personnel of Security Forces

- (i) Widows/Wards of Defence personnel killed in action.
- (ii) Wards of serving personnel and ex-servicemen disabled in action
- (iii) Widows/Wards of Defence personnel who died in peace time with death attributable to military service.
- (iv) Wards of Defence personnel disabled in peace time with disability attributable to military service.
- (v) Wards of Ex-servicemen personnel and serving personnel including personnel of police forces who are in receipt of Gallantry Awards.
Category (v):- Gallantry Awards include: Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Sarvottam Yudh Seva Medal, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Uttam Yudh Seva Medal, Vir Chakra, Shaurya Chakra, Yudh Seva Medal, Sena, Nau Sena – Vayusena Medal, Mention-in-Despatches.
- (vi) President's Police Medal for Gallantry, Police Medal for Gallantry.

माननीय कार्यपरिषद् की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालयीन टीप

विषय: विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप के तकनीकी अधिकारी एवं माइक्रोएनालिस्ट के पदों को परिनियम 20 में जोड़े जाने के संबंध में।

छ.ग. शासन द्वारा विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 2005-2006 में नवीन सेटअप स्वीकृत किया गया है, स्वीकृत सेटअप के सरल क्रमांक 22 एवं 26 में तकनीकी अधिकारी एवं माइक्रोएनालिस्ट के पद को तृतीय श्रेणी का पद स्वीकृत किया गया था।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1-5/2017/38-2 दिनांक 27.09.2017 के द्वारा तकनीकी अधिकारी एवं माइक्रो एनालिस्ट के पद को द्वितीय श्रेणी का पद घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 27.09.2017 के द्वारा तकनीकी अधिकारी एवं माइक्रो एनालिस्ट के पद को द्वितीय श्रेणी का पद घोषित किये जाने फलस्वरूप कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2017 में लिये गये निर्णय अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3761/स्था./सा.प्रशा./2017 दिनांक 13.10.2017 के द्वारा तकनीकी अधिकारी एवं माइक्रो एनालिस्ट के पद को द्वितीय श्रेणी का पद घोषित किया जा चुका है।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तकनीकी अधिकारी एवं माइक्रो एनालिस्ट के पद को द्वितीय श्रेणी का पद स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियम 20 की कंडिका 1 में जोड़े जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

S. P. Sahu
16/11/18
Deputy Registrar (Admn.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)
[Signature]

22 23

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
—00—

क्रमांक एफ 1-5/2017/38-2
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 27/09/2017

✓
कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छ.ग.।

विषय:- माइक्रो एनालिस्ट/तकनीकी अधिकारी पद को सेवा श्रेणी वर्ग-2 में सम्मिलित करने
बाबत सेटअप में संशोधन बाबत।

—00—

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3-50/2005/उ.शि./38 दिनांक 01.05.2006 द्वारा पं.
रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत सेटअप में सरल क्रमांक 22 एवं 26 में तकनीकी
अधिकारी/माइक्रो एनालिस्ट के पद को सेवा श्रेणी तीन के अंतर्गत दर्शाया गया है, राज्य शासन
एतद्वारा संशोधित करते हुए माइक्रो एनालिस्ट/तकनीकी अधिकारी पद को द्वितीय श्रेणी का पद
घोषित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक F 2017-38-01124/B.3/चार दिनांक
14.09.2017 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(नलिनी माथुर) 27-9-17
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक /09/2017

पृ. क्रमांक एफ 1-5/2017/38-2
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
2. श्री टिकेन्द्र सिंह ठाकुर, सभापति (संचार एवं संकर्म), 106, त्रिमूर्ति चौक, सुंदर नगर रायपुर,
ग्राम सिवनी, विकासखंड-अभनपुर जिला-रायपुर, छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर/सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग



23



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 3761 / स्था. / सा.प्रशा. / 2017

रायपुर, दिनांक 13/10/2017

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-50/2005/उ.शि. /38 दिनांक 01/05/2006 द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत सेटअप में सरल क्र. 22 एवं 26 में तकनीकी अधिकारी/माइक्रो एनालिस्ट के पद को सेवा श्रेणी तीन के अंतर्गत दर्शाया गया है, विश्वविद्यालय एतद् द्वारा विश्वविद्यालय सेटअप में संशोधित करते हुए तकनीकी अधिकारी/माइक्रो एनालिस्ट पद को द्वितीय श्रेणी का पद घोषित किया जाता है।

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-5/2017/38-2 नया रायपुर, दिनांक 27/09/2017 एवं वित्त विभाग के यू ओ. क्रमांक F2017-38-01124/B.3/चार दिनांक 14.09.2017 द्वारा दी गई सहमति एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2017 के अनुमोदन के आधार पर किया जा रहा है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक / 3762 / स्था. / सा.प्रशा. / 2017

रायपुर, दिनांक 13/10/2017

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
4. विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त तकनीकी अधिकारी एवं माइक्रो एनालिस्ट को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

-: माननीय उच्च न्यायालय, में लंबित प्रकरणों की सूची :-

क्र.	नस्ती क्र	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/वर्तमान स्थिति
1.	04	प्रकरण क्रमांक 772/93 कु. संगीता पाण्डेय विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	मनोविज्ञान के व्याख्याता पद के संबंध में पद की समाप्ति के पश्चात पुनः नियुक्ति से संबंधित खैक्षणिक योग्यता गलत जानकारी देने के संबंध में	
2.	90	प्रकरण क्रमांक 1418/2004 श्री विमलेश दीक्षित विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. सी. एल. पटेल	श्री जनक राम वर्मा	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	दौ. वे. में कार्यरत तिथि से रेगुलर करना सिनियाटी मांगना पुनः फिक्सेशन के लिए मांग करना एवं वेतनमान निर्धारित करना वा छः इंकीमेंट की मांग करना।	
3.	91	प्र. क्र 3960/2004 श्री ए. के. सप्रे विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री अलेख साहू	श्री जनक राम वर्मा	जवाबदावा अप्राप्त है।	केरियर एडवांसमेंट के अंतर्गत पदोन्नती नहीं होने पर याचिका दायर किया गया।	
4.	104	प्रकरण क्रमांक 4676/2005 श्री हरजीत सिंह चॉवला विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. सी. एल. पटेल	श्री जनक राम वर्मा	जवाबदावा की प्रति उपलब्ध है।	शासकीय दाऊ कल्याण सिंह महा. बलोदाबाजार सत्र 2004 के एल एल बी द्वितीय की परीक्षा में पूर्णमूल्यांकन पश्चात अंक नहीं बढ़ने के संबंध में।	
5.	152	प्रकरण क्रमांक 3186/2006 श्री सुरेश साबले विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर		श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	सेवा से पृथक किये जाने से संबंधि है	
6.	154	प्रकरण क्रमांक 2550/2006 श्री किशन दास विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. शम्स परवेज	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	दौ वे० भो० वाहन चालक को सेवा से पृथक किये जाने से संबंधित प्रकरण	
7.	163	प्रकरण क्रमांक 03/2007 पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर विरुद्ध अनुभूति गुप्ता		श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	प्रायोगिक परीक्षा में 18 के स्थान पर 08 अंक दिये जाने के संबंध में न्यायालय में पारित निर्णय को पुर्नयाचिका दायर किया जा चुका है।	
8.	171	प्रकरण क्रमांक 2943/2007 श्री जी. पी. पुरेना विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री विष्णु राम वर्मा	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	250/- विशेष वेतनमान से संबंधित है	
9.	173	प्रकरण क्रमांक 4035/2007 श्री कौशल चन्द्राकर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री बसंत औसर	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।	
10.	177	प्रकरण क्रमांक W.P (s) 1589/2013 श्री महेन्द्र भिडे प्रकरण क्रमांक 2364/2012	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक.... में	

क.	नस्ती क	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/वर्तमान स्थिति
		प्रकरण क्रमांक 6778/2008 प्रकरण क्रमांक 2727/2007 प्रकरण क्रमांक 3812/2007 विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर				वरिष्ठता निर्धारण को चुनौती दिया गया मान० उच्च न्याया० द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में वि० वि० द्वारा दिनांक में वरिष्ठता निर्धारण को चुनौती दिया गया है।	
11.	184	प्रकरण क्रमांक 5870/2007 डॉ. राजीवशंकर खैर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री अलेख साहू	श्री विनय पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	वि० वि० के भौतिकी विभाग में डॉ. डी. पी. बिसेन की नियुक्ति को चैलेज करने के संबंध में दायर किया गया है।	
12.	201	प्रकरण क्रमांक 7232/2007 प्रकरण क्रमांक 6720/2007 प्रकरण क्रमांक 7266/2007 प्रकरण क्रमांक 7374/2007 प्रकरण क्रमांक 7265/2007 प्रकरण क्रमांक 7375/2007 प्रकरण क्रमांक 7265/2007 प्रकरण क्रमांक 6867/2007 प्रकरण क्रमांक 6866/2007 पर निर्णय दिनांक 28.03.2008 पूर्ण विचार याचिका दायर किया गया है।		श्री विनय पाण्डेय	जवाबदावा अप्राप्त है।	वि० वि० से संबद्धता महा० में बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के संबंध में।	
13.	203	प्रकरण क्रमांक 4087/2007 पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर विरुद्ध एसोशिएशन ऑफ यूनाईटेड प्रोफेशनल कालेज		श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	बी एड से संबंधित प्रकरण	
14.	207	प्रकरण क्रमांक 3535/2008/श्री माया राम सपाह विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	पदोन्नती के संबंध में।	
15.	213	प्रकरण क्रमांक 4732/2008 श्री अनुराग चंद साव विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री अलेख साहू	श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	परीक्षा परिणाम में त्रुटि में हेतु 10 लाख रुपये का क्लेम	
16.	227	प्रकरण क्रमांक 265/2008 श्री गोविन्द बारिक विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	कुलसचिव	श्री राजेन्द्र तिवारी	जवाबदावा अप्राप्त है।	बी एड से संबंधित प्रकरण	
17.	228	प्रकरण क्रमांक 261/2008 सेंट थामस मलंकर आर्थोडिस्ट विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	कुलसचिव	श्री राजेन्द्र तिवारी	बी एड से संबंधित प्रकरण जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	वि० वि० परिनियम के पावाधानों का पालन नहीं किये जाने के कारण वि० वि द्वारा प्रवेशमें प्रतिबंध के संबंध में	
18.	230	प्रकरण क्रमांक 6027/2008 मंगल दुबे मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री एच. बी. अग्रवाल	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	बाउण्ड्री वाल निर्माण के संबंध में।	

क्र.	नस्ती क्र	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/वर्त स्थिति
19.	231	प्रकरण क्रमांक 6264/2008 निर्णय अवमानना प्रकरण 267/2008 श्री बी. पी. भवर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री अलेख साहू	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा अप्राप्त है।	निलंबन के संबंध में।	
20.	232	प्रकरण क्रमांक 6591/2008 मैत्री एजुकेशन एण्ड कल्चरल एसोसिएशन विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. वृजेन्द्र पाण्डेय	श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	प्रवेश प्रतिबंध से संबंधित पर सटे पन पुनः अपील	
21.	233	प्रकरण क्रमांक 4645/2008 दयानंद शिक्षा समिति एवं अन्य विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. वृजेन्द्र पाण्डेय	श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	प्रभारी प्राचार्य के नियुक्त के संबंध में।	
22.	234	प्रकरण क्रमांक 5957/2008 श्री विक्टर एक्का विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री अलेख साहू	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा अप्राप्त है।	निलंबन के संबंध में।	
23.	239	प्रकरण क्रमांक 6023 प्रकरण क्रमांक 4330/2017 श्री परदेशी राम भोई विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	बर्खास्तगी के संबंध में	
24.	242	प्रकरण क्रमांक 1596/2009 डॉ. जयंत विघ्वास विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री के. पी. राठौर	श्री आशीष श्रीवास्तव	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	एकडमिक स्टाफ कालेज में व्याख्याता नियुक्ति संबंधी	
25.	246	प्रकरण क्रमांक 3188/2009 दयानंद शिक्षा समिति विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. अरविन्द्र अग्रवाल	श्री आशीष श्रीवास्तव	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	प्राचार्य नियुक्त के अनुसंशा को चुनौती दी।	
26.	250	प्रकरण क्रमांक 2683/2009 श्री विक्टर एक्का विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री अलेख साहू	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।		
27.	262	प्रकरण क्रमांक 7289/2009 अर्चना चन्द्राकर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. अरविन्द्र अग्रवाल	श्री मनोज दुबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	परिनियम 28 के तहत महा0 मे नियुक्त के संबंध में।	
28.	263	डी. बी. में अपील प्रकरण क्रमांक 1558/2010 प्रकरण क्रमांक 5423/2008 महानदी एजुकेशन सोसायटी एवं अन्य विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (निर्णय 09.07.2009)	डॉ. वृजेन्द्र पाण्डेय	श्री आशीष श्रीवास्तव	जवाबदावा अप्राप्त है।	महानदी एजुकेशन सोसायटी एवं अन्य पर बी एस सी नर्सिंग से संबंध मे दायर प्रकरण क्रमांक 5423/08 पर मान0 न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.09 को डी बी में अपील किया गया है।	
29.	271	प्रकरण क्रमांक 1422/2010 मैत्री एजुकेशन सोसायटी एण्ड कल्चरल एसोसिएशन भिलाई विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री के. पी. राठौर अकादमिक	श्री आशीष श्रीवास्तव	जवाबदावा अप्राप्त है।	100 सीट के अतिरिक्त 50 छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में।	
30.	275	प्रकरण क्रमांक 1825/2010 श्री हुबलाल पाण्डेय विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के.अग्रवाल	श्री आशीष श्रीवास्तव	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	सहायक कुलसचिव पदोन्नती के संबंध में।	
31.	276	प्रकरण क्रमांक 1622/2010 महार्षि पतांजली शिक्षा समिति एवं अन्य विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० अरविन्द्र अग्रवाल	श्री मनोज दुबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	संबद्धता के संबंध में।	

क्र.	नस्ती क्र.	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/वर्तमान स्थिति
32.	278	प्रकरण क्रमांक 2994/2010 श्री बी. पी. भंवर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	निलंबन द्वितीय विभागीय जॉच हेतु जॉच अधिकारी बदले जाने के संबंध में।	
33.	279	प्रकरण क्रमांक 2883/2010 श्री कौशल चन्द्राकर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० अरविन्द्र अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	शांती बाई कला/वणिज्य एवं विज्ञान महा. महासमुद मे परिनियम 28 के तहत शिक्षको को सहायक प्राध्यापक को पृथक किया जाने के संबंध में।	
34.	281	प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी (एस) 3433/2010 डॉ. मनीष कुमार राय विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	माननीय न्यायालय द्वारा आगमी सुनवाई तक स्थगन आदेश पारित किया।	वि० वि द्वारा सेवा से पृथक किये जाने वाले आदेश को चैलेज करते हुए याचिका दायर किया है।	
35.	284	प्रकरण क्रमांक 5249/2007 श्रीमती ज्ञानेश्वरी सोनी विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री के. पी. राठौर	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा अप्राप्त है।	प्राध्यापक नियुक्ति के संबंध में।	
36.	285	एम. एम.सी प्रकरण क्रमांक 1906/2010 कुलपति एवं अन्य पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर विरुद्ध बंसल अकादमिक	डॉ. आर. के. प्रधान	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	दूरवर्ती शिक्षा संस्था 2005 में विभिन्न पाठ्यक्रम के संबंध में।	
37.	291	प्रकरण क्रमांक 400/2010 श्री जयंत कुमार धुरंधर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री अलेख साहू	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	एम फिल डिग्री का परिणाम दिनांक 26.6.09 के बाद घोषित किये जाने के संबंध में याचिका दायर किया गया।	
38.	297	प्रकरण क्रमांक 7439/2010 श्री आशुतोष पाण्डेय विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. अरविन्द्र अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	पी एच डी प्रवेश परीक्षा संबंधित संशोधन अध्ययन को चुनौति दिया गया है।	
39.	300	प्रकरण क्रमांक 661/2011 डॉ. एस. एल. श्रीवास्तव विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री आशीष श्रीवास्तव	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	पेंशन प्रकरण से संबंध में।	
40.	303	प्रकरण क्रमांक 648/2010 श्रीमती निवेदिता गुप्ता विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. रविन्द्र अग्रवाल	श्री आशीष श्रीवास्तव	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	अधिवार्षिकीय आयु 60 से 62 वर्ष किये जाने के संबंध में।	
41.	304	प्रकरण क्रमांक 1385/2011 कु. शिप्रा यादव विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री आशीष श्रीवास्तव	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	एम ए पूर्व मे भूगोल पुनर्मूल्यांकन में नम्बर कम होने से संबंध में।	
42.	308	प्रकरण क्रमांक 2237/2011 श्री अमरजीत चावला विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	शास. इंजीनियरिंग महा. रायपुर में पार्ट टाईम बी ई कोर्स के मान्यता के संबंध में।	
43.	309	प्रकरण क्रमांक 2528/2011 जी. एच. रायसोनी फाऊन्डेशन विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	बी एड एव बी पी एड के मान्यता के संबंध में।	

क.	नस्ती क	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/वर्तमान स्थिति
44.	313	प्रकरण क्रमांक 630/2010 श्री सुरेन्द्र विरूद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा अप्राप्त है।	सेठ रतनलाल सुराना विधि महा0 अग्रेषित परीक्षा सत्र 2009 में परीक्षा में आपात्र घोषित करने के संबंध में।	
45.	314	प्रकरण क्रमांक 4749/2011 श्री सनत कुमार शर्मा विरूद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	शास. इंजीनियरिंग महा. रायपुर में पार्ट टाइम बी ई कोर्स के मान्यता के	
46.	317	प्रकरण क्रमांक 35/2012 प्रमिता शुक्ला विरूद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री खेमन सिंह कश्यप	श्री आशीष श्रीवास्तव	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	मेरिट लिस्ट के संबंध में।	
47.	318	प्रकरण क्रमांक 70909 /2011 श्री जितेन्द्र कुमार साहू विरूद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. अरविन्द्र अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा अप्राप्त है।	विप्र महा0 रायपुर के छात्र बी पी एल उपाधी के संबंध में।	
48.	319	प्रकरण क्रमांक 101/2012 श्रीमती राजेश्वरी सोनी विरूद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री मनोज दुबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	शास. महा0 रायपुर के छात्र/ छात्राओं का सत्र 2012 में एम एड पाठ्यक्रम में प्रवेशतत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने को चुनौति दिया है।	
49.	320	अपील प्रकरण कर्मचारी राज्य बीमा निगम विरूद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर. के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	कर्मचारियों का अंशदान राशि की वसूली के संबंध में।	
50.	321	प्रकरण क्रमांक 1808/2012 श्री कमलेश प्रसाद शर्मा विरूद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री अलेख साहू	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	अधिवार्षिकी आयु 60 से 62 वर्ष किये जाने के संबंध में।	
51.	322	प्रकरण क्रमांक विश्वविद्यालय जमीन सीमांकन से संबंधित	श्री प्रदीप शर्मा	श्री नीरज चौबे	याचिका दायर की जा चुका है।	विश्वविद्यालय के जमीन सीमांकन के संबंध में।	
52.	324	डब्ल्यू पी प्रकरण क्रमांक 2364/2012 श्री महेन्द्र कुमार भिडे विरूद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	पदोन्नती के संबंध में।	
53.	325	श्री लखन लाल साहू ठेकेदार मोविलाईजेशन अग्रिम वसूली हेतु याचिका	श्री उमापति रस्तोगी	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा अप्राप्त है।	ठेकेदार मोविलाईजेशन अग्रिम वसूली हेतु।	
54.	326	अपील प्रकरण क्रमांक 1006/2015 डॉ० गौरशंकर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।		
55.	329	डब्ल्यू पी (सी) प्रकरण क्रमांक 161/2013 श्री अलोक तिवारी विरूद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री आशीष श्रीवास्तव	याचिका/जवाबदावा की प्रति अप्राप्त है।	एल एल बी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त किये जाने हेतु।	
56.	330	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 178/2013 श्री हिमांशु कुमार साहू विरूद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री आशीष श्रीवास्तव	याचिका/जवाबदावा की प्रति अप्राप्त है।	एल एल बी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त किये जाने हेतु।	
57.	331	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 5143/2012 डॉ. पुरुषोत्तम चन्द्राकर विरूद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका है।	वि० वि० अध्ययनशाला में भूगोल विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के	

क.	नस्ती क	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/वर्तमान स्थिति
		रायपुर					
58.	332	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 5145/2013 डॉ. विजय कुमार तिवारी विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका है।	पद नियुक्त के संबंध में। वि० वि० के अध्ययनशाला में भूगोल विभाग में एसोशिएट प्रोफेसर के पद नियुक्त के संबंध में प्रवेशपत्र नहीं भेजे जाने पर याचिका दायर किया गया है।	
59.	334	अपील प्रकरण क्रमांक 1589/2013 श्री महेन्द्र भिडे विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	वि० वि० द्वारा जारी पत्र 1905/सा.प्रशा./2013 दिनांक 07.05.013 उल्लेखित आरोप पत्र को चुनौति दिया गया है।	
60.	335	प्रकरण क्रमांक/2013 पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर विरुद्ध श्रीमती मोहिनी जैन	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	पेशन प्रकरण से संबंधित है।	
61.	336	प्रकरण क्रमांक 3718/2013 श्री गया प्रसाद पुरेना विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	दिनांक 03.10.013 कक्ष अधिकारी से सहायक कुलसचिव के पद पर पदोन्नती के संबंध में।	
62.	337	प्रकरण क्रमांक 4002/2013 डॉ. वशंगोपाल विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना है।	वेतनमान से संबंधित प्रकरण	
63.	339	डब्ल्यू पी प्रकरण क्रमांक 67/2014 श्री रूपेश कुमार शर्मा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	वि० वि० द्वारा दो वार्षिकी वेतन वृद्धि संघयी प्रभाव से रोके गये थे तथा उस आदेश को चुनौति दिया गया है	
64.	340	प्रकरण क्रमांक 497/2014 श्री अनवारूप हक विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत हो गया।	बी एड सत्र 2014 को अग्रहित परीक्षा फार्म को पात्र नहीं होने के कारण निरस्त किया जाने हेतु	
65.	343	डब्ल्यू पी (सी) प्रकरण क्रमांक 1032/2014 श्री साकेत केशरवानी विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री खेमन सिंह कष्यप	श्री आशीष श्रीवास्तव	जवाबदावा अप्राप्त है।	विधि विभाग पं० रवि० वि० वि० रायपुर 2013 पूर्णमूल्यांकन में 29 से घटने के कारण आपत्ति दर्ज किया है।	
66.	347	डब्ल्यू पी (एस) क्रमांक 5761/2014 श्रीमती कविता शर्मा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	पी एच डी डिग्री के संबंध में याचिका दायर किया गया है।	
67.	350	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 2135/2014 श्रीमती माया सोनी विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा प्रस्तुत है।	दिनांक 19.06.2014 के द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र एम. ए. चतुर्थ सेम में हुई त्रुटि के कारण निरस्त के संबंध में।	
68.	358	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 533/2015 अरविन्द्र चन्द्राकर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री खेमन सिंह कष्यप	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	बी पी टी के छात्र चतुर्थ सेम. विषय P.T. In Orthopaedic	

क्र.	नस्ती क्र	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/वर्तमान स्थिति
						conditions के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र 49 G ग्रेस हटाने हेतु	
69.	359	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 1815/2015 महेन्द्र कुमार भिडे विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	अनिवार्य सेवानिवृत्त आदेश क्रमांक 749/सा.प्रशा./2015 दिनांक 19.03.2015 एवं निलंबन अवधि को सेवा अवधि मान्य करने हेतु।	
70.	364	अवमानना प्रकरण 288/2015 महेन्द्र कुमार भिडे विरुद्ध के. के. चन्द्राकर		श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।		
71.	365	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 2242/2015 विजय कुमार लाल विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर.के. अग्रवाल	श्री मनोज दुबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	सेठ आर सी कला एवं वाणिज्य महा. दुर्ग में पदस्थ ग्रथपाल की अधिवार्षिक आयु 62 से 65 वर्ष बढ़ाये जाने हेतु	
72.	366	डब्ल्यू पी () क्रमांक 198/2015 माधुरी गौतम विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर. के. अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।		
73.	367	डब्ल्यू पी (एस) क्रमांक 3046/2015 रावतपुरा सरकार विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	श्री रावतपुरा संस्थान कुम्हारी सहायक प्राध्यापक श्रीमती रंजना स्थानान्तरण के संबंध में।	
74.	369	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 1639/2015 हेमलता वर्मा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री खेमन सिंह कष्यप	श्री मनोज दुबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	एम. कॉम अंतिम विषय Accounting for Managerial decision में UFM हटाने हेतु	
75.	370	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 3649/2015 डॉ० प्रभावती शुक्ला विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर.के. अग्रवाल	श्री रमाकांत मिश्रा	जवाबदावा अप्राप्त है।	कैरियर एडवान्समेंट योजना के तहत प्रोफेसर पद पर पदोन्नति तिथि से संबंधित	
76.	371	डब्ल्यू पी (एस) क्रमांक 2230/2014 महोम्मद बसीर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	माहत्मा गांधी वि. वि. कोटयंम का पत्र क्र. 3/1165/2013 दिनांक 31.12.2013 को चुनौति दिया है।	
77.	373	रिव्यू प्रकरण .../2015 वासुदेव सिंह विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर.के. अग्रवाल	श्री जनक राम वर्मा	जवाबदावा अप्राप्त है।	प्रेज्युवैटी के संबंध में	
78.	374	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक/2016 रंजना मिश्रा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर. के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	श्री रावतपुरा संस्थान कुम्हारी में कार्यरत् शिक्षको को छठवे वेतनमान प्रदाये किये जाने हेतु	

क्र.	नस्ती क्र	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/वर्तमान स्थिति
79.	375	डब्ल्यू पी (एस) क्रमांक 392/2016 डॉ० जयंत विष्वास विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	बेसिक साइंस में सहायक प्राध्यापक नियुक्त हेतु जारी आदेश को दायर किया गया।	
80.	379	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 481/2016 महानदी एजु. सोसायटी विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर जमीन	श्री प्रदीप शर्मा	श्री एच बी अग्रवाल	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	भूमि अधिग्रहण से संबंधित है।	
81.	380	डब्ल्यू पी (एस) क्रमांक 1749/2016 श्रीमती विद्या शर्मा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर.के. अग्रवाल	हमीदा सिद्दिकी	जवाबदावा अप्राप्त है।	पदोन्नति किये जाने हेतु याचिका दायर किया गया है।	
82.	381	डब्ल्यू पी (एस) क्रमांक/2016 कु० सिन्धु नायर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री खेमन सिंह कश्यप	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	एम.ए. अंतिम अंग्रेजी विषय में पुनर्मुल्यांकन के पश्चात् अंक कम होने के कारण याचिका दायर किया गया।	
83.	382	ओ. ए. क्रमांक 1925/2016 कमल कात वर्मा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	अकादमिक विभाग से जवाब भेजा गया है।		जवाबदावा अप्राप्त है।	रेगुलेशन/पात्रता से संबंधित याचिका दायर किया गया है।	
84.	383	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 3017/2016 राम नरेश टण्डन विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	स्टील आर्थोराइज आफ इंडिया में ट्रेनर पोस्ट में अपात्र घोषित करने के पश्चात् याचिका दायर किया गया।	
85.	385	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 2183/2016 सानतानु झा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर.के. अग्रवाल	श्री आशीष श्रीवास्तव	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	कल्याण महाविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापक को शासकीयकरण करने के पश्चात् समस्त दिये जाने वाले लाभ हेतु याचिका दायर किया गया।	
86.	386	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक/2016 जितेन्द्र लहरे विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ० आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	छात्र संघ चुनाव से संबंधित याचिका दायर किया गया।	
87.	387	डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 2253/2016 Pramany विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	प्रकरण डी एस डब्ल्यू से चला है।		जवाबदावा अप्राप्त है।	छात्र संघ चुनाव से संबंधित याचिका दायर किया गया।	
88.	392	प्रकरण क्रमांक 2702/2016 हरीश जयसवाल एवं अन्य विरुद्ध छ.ग.ष्णासन अकादमिक	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	आचार्य पंथ भीम मुंजी के एल. एल.बी. के छात्र द्वारा प्रथम सेमेस्टर में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण दायर किया गया।	
89.	393	प्रकरण क्रमांक 2974/2016 डॉ. डालेश कुमार पटेल	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	कल्याण महाविद्यालय में	

क.	नस्ती क	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/वर्तमान स्थिति
						कार्यरत सहायक प्राध्यापक को शासकीयकरण करने के पश्चात् समस्त दिये जाने वाले लाभ हेतु याचिका दायर किया गया।	
90.	395	प्रकरण क्रमांक 4002/2016 महेन्द्र कुमार भिडे के विरुद्ध पं. रविशंकरशुक्ल विश्वविद्यालयके विरुद्ध	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पश्चात् होने वाले पेंशन लाभ 18 प्रतिशत ब्याज हेतु याचिका दायर किया गया।	
91.	397	प्रकरण क्रमांक 2983/2016 प्रनम्या पाण्डे विरुद्ध छत्तीसगढ़शासन एवं अन्य	सुश्री नीता बाजपेयी	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	'शासकीय दाउ कल्याण रनातकोत्तर महाविद्यालय बलौदाबाजार सत्र-15-16 हुए छात्रसंघ चुनाव में समान मत होने के कारण लॉटरी पद्धति से अध्यक्ष पद हेतु निर्णय लिया गया जिससे छुब्द होकर श्री पाण्डेय द्वारा माननीय न्यायालय में अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन को निरस्त कर शुन्य घोषित करने की मांग किया गया है।	
92.	398	डब्ल्यू पी सी (एस) नं. 1564/2017 श्री समीर दुबे विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य	श्री प्रदीप शर्मा	श्री नीरज चौबे	श्री प्रदीप शर्मा की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत की गई	भूमि अतिक्रमण से संबंधित याचिका दायर किया गया।	
93.	399	रिट पिटिशन (एस) 17.01.2017 डॉ. सीमा त्रिपाठी विरुद्ध पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	जूलॉजी विषय पर सहायक प्राध्यापक के नियुक्ति से संबंधित है।	
94.	400	रिट पिटिशन डब्ल्यू पी.एस. 6764 / 2017 कु. नीलीरोज बैंक विरुद्ध पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	फार्मैसी साइंस में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति से संबंधित है।	
95.	401	रिट पिटिशन क्र. 1687/2017 की दिलीप कुमार साहू विरुद्ध पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर एवं अन्य	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	बेसिक साइंस एवं कम्प्यूटर साइंस में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति से संबंधित।	
96.	402	डब्ल्यू पी सी (एस) नं. 1845/2017 पारीत निर्णय 15. 11.2017 को पुनः डॉ. बी.के. मेहता द्वारा अपील दायर किया गया है।	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	निलंबन अवधि का वेतन भुगतान से संबंधित।	

क.	नस्ती क	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/वर्तमान स्थिति
97.	403	डब्ल्यू पी सी 1976/2017 डॉ. (श्रीमती) मृणालिनी करमोकर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	सहायक प्राध्यापक, अग्रेजी विषय के साक्षात्कार पर रोक लगाने के संबंध में।	
98.	406	प्रकरण क्रमांक निरंक 2017 श्रीमती मोहिनी जैन विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	पेंशन के संबंध में।	
99.	415	भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/12, 9/12, 21/12, 39/11, 40/11, 23/12, 36/11, 18/10, 14/12, 28/12, 22/12, 25/12, 10/12, में पारित आवार्ड दिनांक 30.08.2017 तथा भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/12, 17/12, 18/12, 13/12, 19/12, 16/12, 12/12, 27/12, 15/12, 20/12, 08/12, 26/12, 38/11, 07/12, में पारित आवार्ड दिनांक 12/9/2017 को उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील दायर किया गया।	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	स्थानीय न्यायालय रायपुर द्वारा भूमि अधिग्रहण की मुवावजा की राशि बढ़ाये जाने के संबंध में अपील।	
100.	416	प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14/07/2017 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में केविएट दायर किया गया।	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	जमीन से संबंधित।	
101.	419	1. प्रकरण क्रमांक एम सी सी. 1562/2017 श्री जानकी प्रसाद शर्मा प्रकरण पर पारित निर्णय दिनांक 20.06.2017 के विरुद्ध एम सी सी. टोकन नम्बर 913/2018 विश्वविद्यालयद्वारा प्रस्तुत की गई। 2. अवमानना प्रकरण 760/2017 श्री जानकी प्रसाद शर्मा विरुद्ध कुलपति पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री नीरज चौबे	जवाबदावा अप्राप्त है।	दिनांक 20.06.2017 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में एम सी सी. आवेदन प्रस्तुत किया गया।	

|| माननीय स्थानीय न्यायालय में लंबित प्रकरणों की सूची ||

क्र.	नस्ती क्र	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/ वर्तमान स्थिति
1.	04	प्रकरण क्रमांक 99 ए /2004 श्री अमित कुमार वर्मा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	डॉ. शम्स परवेज	श्री आनंद मोहन ठाकुर	जवाबदावा अप्राप्त है।	बी.काम. अंतिम वर्ष उत्तरपुस्तिका पुर्नमूल्याकन हेतु याचिका दायर किया गया है।	
2.	05	प्रकरण क्रमांक अ 70/03-04 श्री जगधर लाल अग्रवाल विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अपील दायर करने हेतु	श्री रूपेश शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा अप्राप्त है।	भवन निर्माण से संबंधित।	
3.	07	प्रकरण क्रमांक/2007 श्रीमती विमला शर्मा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री उमापति रस्तोगी	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	आर्दश विज्ञान महाविद्यालय के बाण्ड्रीवाल से संबंधित है।	
4.	08	प्रकरण क्रमांक 28 ए/2008 डगनिया एकजीस प्राईवेट लिमिटेडे विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर		श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।		
5.	11	भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1315 ममता प्रकरण क्रमांक 1719 निर्मल कुमार गोलछा प्रकरण क्रमांक 1317 प्रकाशचंद	श्री उमापति रस्तोगी	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन प्रकरण से संबंधित है।	
6.	14	प्रकरण क्रमांक 91 ए/2007 मंगल दुबे मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी अवमानना प्रकरण समीर दुबे विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर		श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भूमि अतिक्रमण से संबंधित है।	
7.	15	प्रकरण क्रमांक 364/2008 श्री तुरवेश कुमार अग्रवाल विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर		श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	नाम परिवर्तन से संबंधित है।	
8.	16- 23	प्रकरण क्रमांक 06/2010 श्री अशोक खटवानी विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भूमि अधिग्रहण एवं मुवावजा	
9.	16- 24	प्रकरण क्रमांक 07/2010 श्री वासु बजाज विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भूमि अधिग्रहण एवं मुवावजा	
10.	16- 25	प्रकरण क्रमांक 08/2010 श्री वासु बजाज विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भूमि अधिग्रहण एवं मुवावजा	
11.	32	एम आई सी प्रकरण क्रमांक 11/2011 श्री ललित शर्मा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भूमि अधिग्रहण एवं मुवावजा	
12.	33	प्रो० एम आई सी क्रमांक 199/20111 पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भूमि अधिग्रहण एवं मुवावजा	
13.	34	प्रकरण क्रमांक 32 ए/2011 श्री प्रकाश तिवारी मूल प्रकरण जीवित है विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	बी.एड. भवन निर्माण से संबंधित।	

क.	नस्ती क	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/ वर्तमान स्थिति
		विश्वविद्यालय रायपुर					
14.	37	प्रकरण क्रमांक 50/2008 श्री मंगल कुमार अग्रवाल विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भूमि अधिग्रहण एवं मुवावजा	
15.	38	प्रकरण क्रमांक 51/2008 श्री हरख राम व परस राम विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है। प्रति अप्राप्त है।	भूमि अधिग्रहण एवं मुवावजा	
16.	39	प्रकरण क्रमांक 53/2008 श्री हरख राम व परस राम विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भूमि अधिग्रहण एवं मुवावजा	
17.	40	प्रकरण क्रमांक 55/2008 श्री चोवा राम विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भूमि अधिग्रहण एवं मुवावजा	
18.	41	प्रकरण क्रमांक 58/2008 श्री टिकेन्द्र सिंह विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन से (मुवावजा से संबंधित है)	
19.	42	प्रकरण क्रमांक 59/2008 श्रीमती कृष्णादेवी बेवा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन से (मुवावजा से संबंधित है)	
20.	43	प्रकरण क्रमांक 62/2011 नाबालिक तनमय भगवती विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन से (मुवावजा से संबंधित है)	
21.	44	प्रकरण क्रमांक 34/2011 श्री पुखराज जेठमल विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन से (मुवावजा से संबंधित है)	
22.	45	प्रकरण क्रमांक 35/2011 श्री पूर्णिमा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन से (मुवावजा से संबंधित है)	
23.	46	प्रकरण क्रमांकश्रीमती मोहिनी जैन पेशन प्रकरण विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	पेशन प्रकरण से संबंधित है।	
24.	47	पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भू-अर्जन भूमि के कार्यवाही	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन से (मुवावजा से संबंधित है)	
25.	48	प्रकरण क्रमांक/2013 पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर विरुद्ध महानदी एजुकेशन सोसायटी	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भूमि अधिग्रहण से संबंधित है	
26.	49 14	प्रकरण क्रमांक/2013 पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर विरुद्ध मंगल दुबे मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भूमि अधिग्रहण से संबंधित है	
27.	62	पुनारीक्षण प्रकरण क्रमांक 62 अ/12-13 महानदी एजुकेशन सोसायटी विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा		जवाबदावा प्रस्तुत है।	जमीन सीमांकन	
28.	63	प्रो० 26/2014 श्री सलाहुद्दीन विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	जमीन सीमांकन	
29.	64	अपील प्रकरण 120 ए/2014 प्रकाश तिवारी विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री उपमापति रस्तोगी	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	बी.एड. भवन निर्माण से संबंधित है।	
30.	66	मेसर्स डिडवानिया बिल्डर्स विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।		

क.	नस्ती क	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	प्रकरण का विषय	निराकरण/ वर्तमान स्थिति
31.	67	प्रकरण क्रमांक 255/2008 श्री हर्षवर्धन तिवारी विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री उपमापति रस्तोगी	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	बाण्ड्रीवॉल से संबंधित है।	
32.	69	केविएट आवेदन /2015 विवेक विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन मुवावजा से संबंधित है।	
33.	70	प्रकरण क्रमांक 05 अ/2016 समीर दुबे विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	नामान्त्रण एवं भूमि अतिक्रमण	
34.	71	प्र० 37/2016 श्री चिन्ताराम विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	नामान्त्रण एवं भूमि अतिक्रमण	
35.	72	प्र० 72/2016 डॉ. हर्षवर्धन तिवारी विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	बाण्ड्रीवॉल से संबंधित है।	
36.	73	प्र० 826/2017 श्री संतोष अग्रवाल एवं अन्य विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन (मुवावजा)	
37.	74	प्र० 832/2012 श्री नंद कुमार एवं अन्य विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन (मुवावजा)	
38.	75	प्र० 859/2012 दिलीप कुमार एवं अन्य विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन (मुवावजा)	
39.	76	प्रकरण क्रमांक 48/2012 संतोष एवं अन्य विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन (मुवावजा)	
40.	77	प्रकरण क्रमांक 11/2010 गिरजा एवं अन्य विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत है।	भू अर्जन (मुवावजा)	

॥ जिला उपभोक्ता फोरम में लंबित प्रकरणों की सूची ॥

क्र.	नस्ती क्र	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	विषय	रिमार्क
1.	01	प्रकरण क्रमांक 518 /2016 श्री प्रहलाद कुमार झा विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत	नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने के बाद पाइवेट परीक्षा के संबंध में।	
2.	02	प्रकरण क्रमांक सी.सी. 10/52 कु. अमृता रायसागर विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	डॉ. बी.पी.भंवर	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत	टी.आर. में प्रतिशत नहीं होने के कारण डिग्री नहीं दिया गया।	
3.	03	प्रकरण क्रमांक 03/2017 सिलतैनरया विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	डॉ. आर.के. अग्रवाल	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत	एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में।	
4.	04	प्रकरण क्रमांक निरंक /2017 खुशबू अग्नि छत्री विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	डॉ. आर.एस. केराम	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत	पी.जी.डी.सी.ए. प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किये जाने के संबंध में।	

॥तहसीलदार में लंबित प्रकरणों की सूची ॥

क.	नस्ती कं	प्रकरण क्रमांक एवं वादी का नाम	प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता	रिटर्न की स्थिति	विषय	रिमाक
1.	01	प्रकरण क्रमांक 457/2012 श्री ओम प्रकाश अग्रवाल विरुद्ध पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है।	जमीन सीमांकन से संबंधित	
2.	2	प्रकरण क्रमांक 70 ए /2016 श्री हीरालाल साहू विरुद्ध कुलपति पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है।	जमीन सीमांकन से संबंधित	
3.	3	प्रकरण क्रमांक 63 /2009 श्री नीरज कुमार जैन विरुद्ध कुलपति पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है।	जमीन सीमांकन से संबंधित	
4.	4	प्रकरण क्रमांक संदीप कुमार कोशरकर विरुद्ध कुलपति पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री रूपेश शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय	जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है।	दैनिक वेतन भोगी के कार्य अवधि को कार्यअवधि मानकर भुगतान किये जाने के संबंध में।	
5.	5	प्रकरण क्रमांक 2106/2007 अनावेदक कुलसचिव, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री बी.पी. भंवर	श्री राजेश पाण्डेय		भूमि अतिक्रमण	
6.	6	प्रकरण क्रमांक ए 70/... नमिता भट्ट विरुद्ध कुलपति पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	श्री प्रदीप शर्मा	श्री राजेश पाण्डेय		बान्डीवॉल	



कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु टीप

39

विषय:- डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक/प्रोफेसर का याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी(एस) क्रमांक 1845/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकरण पर विचार करना।

डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक/प्रोफेसर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी(एस) क्रमांक 1845/2017 दायर किया गया था।

याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी(एस) क्रमांक 1845/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा उपरोक्त याचिका पर निर्णय दिनांक 15.11.2017 के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.12.2017 में विचारार्थ रखा गया था। कार्यपरिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्णय की सूचना ग्रहण कर प्रकरण पर विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार से अभिमत प्राप्त कर आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में श्री नीरज चौबे, उच्च न्यायालय अधिवक्ता बिलासपुर से विधिक अभिमत लिया गया है।

श्री चौबे, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने प्रकरण के संबंध में बिन्दु क्रमांक 1 से 8 में तथ्यों को रेखांकित करते हुए पत्र के अंतिम पैरा में यह अभिमत दिया है कि-

It is pertinent to be noted at this juncture, that, against the order dated 15.11.2017, the prof. B.K.Mehta has filed the Writ appeal No. 558/2017 before the division Bench of the Hon'ble High Court, However, the order of the Division Bench of the High Court is awaiting.

Therefore, it is my opinion that, the University, either waiting for the order of the division Bench, OR takes the steps as per order dated 15.11.2017.

which status as- Therefore, in these circumstances, decision of respondents not to pay salary for the period of suspension meaning thereby that the financial benefits have been confined only to the suspension allowance that may have been paid to the petitioner while he was under suspension, deserves to be set aside. The authority shall exercise their discretion afresh on relevant considerations without application of principle of "No Work No Pay" and arrive at fresh decision whether the petitioner should be allowed full salary for the period remained under suspension or confined only to the suspension allowance already paid to him. The decision shall be taken by the University as early as possible preferably within a period of three months from the date of meeting of the Executive Council, after the date of this order

अतः कार्यपरिषद के समक्ष प्रकरण विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

S. S. S. S.
15/2/18
Deputy Registrar (Admn.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)

39(1)

NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

WPS No.1845 of 2017

- Dr. B. K. Mehta S/o Late Shri H. P. Mehta, Aged About 72 Years R/o & C/o Dr. J. K. Mehta, 2 B 2 Sonal Towers, Near Agrasen Chowk, District Bilaspur (Chhattisgarh)

--- Petitioner

Versus

1. Pt. Ravishankar Shukla University Through Registrar, Raipur, District Raipur (Chhattisgarh)
2. Executive Committee, Through The Chairman, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, District Raipur (Chhattisgarh)

--- Respondents

For Petitioner
For Respondents

Shri Prateek Sharma, Advocate
Shri Neeraj Choubey, Advocate

Hon'ble Shri Justice Manindra Mohan Shrivastava

Order On Board


High Court of Chhattisgarh
15/11/2017

Heard.

2. The petitioner seeks to challenge resolution dated 05-11-2014 passed by the Executive Council of the University, followed by order dated 31-12-2014, by which, to the extent it denies full salary in respect of the period, during which, the petitioner remained under suspension.

3. Learned counsel for the petitioner, relying upon the decision of the Supreme Court in the case of ***Shobha Ram Raturi vs. Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limitd and Ors., AIR 2016 SC 157***, would submit that in a case, where proper treatment to the period under suspension is to be given in exercise of powers under the applicable rules, the principle of "No Work No Pay" has no application. Therefore, the decision making progress in purported exercise of power under Clause 61 of the Statute No.31 is bad in law.

4. Learned counsel for the respondents would submit that apart from applying the



principle of "No Work No Pay", other relevant considerations, as reflected from the resolution, prevailed with the authority to put an end to the dispute and close the chapter in a particular manner. He would submit that the authorities have decided not to proceed further against the petitioner, looking to the fact that he was superannuated in the year 2008 and aged 68 years. The departmental enquiry, which the respondents could have initiated, in exercise of liberty granted by this Court on the allegations of financial irregularity and loss to the institution, was dropped. Therefore, the decision cannot be said to be illegal. He further submits that the petitioner otherwise has alternative and statutory remedy of filing an appeal before the Chancellor.


5. True it is that there appears to be alternative remedy of filing an appeal before the Vice Chancellor, the settled legal position as adumbrated by the Supreme Court in the case of **Shobha Ram Raturi** (supra), while exercising discretionary jurisdiction with regard to treatment to be given to the period of suspension, the principle of "No Work No Pay" will have no application.

6. After going through the resolution dated 05-11-2014, I find that in order to come to the decision that the petitioner will not be paid salary for the period, during which, he remained under suspension, certain considerations along with principle of "No Work No Pay" has been made applicable. There lies a defect in the decision making process. The process is infected by consideration not permissible under the law i.e. non-applicability of principle of "No Work No Pay" in the matter of proper treatment to the period of suspension.

7. In the case of **Shobha Ram Raturi** (supra), Hon'ble Supreme Court examined the issue, as below:-

1. It is not a matter of dispute, that the appellant was retired from service on 31.12.2002, even though he would have, in the ordinary course, attained his date of retirement on superannuation, only on 31.12.2005. The appellant assailed the order of his retirement dated 31.12.2002 by filing writ petition no. 751 of 2003. The same was allowed by a learned Single Judge of the Punjab and Haryana High Court, on 14.09.2010. The operative part of the order is extracted hereunder:

"Accordingly the present writ petition is allowed; order dated



31.12.2002 (Annexure P-4) is quashed. The petitioner would be treated to be in continuous service with all consequential benefits. However it is clarified that since the petitioner has not worked on the post maxim of "no work, no pay" shall apply and the consequential benefits shall only be determined towards terminal benefits. However there will be no order as to costs."


2. The denial of back wages to the appellant by the High Court vide its order dated 14.09.2010 was assailed by the appellant by filing Letters Patent Appeal No. 489 of 2011. The High Court rejected the claim of the appellant, while dismissing the Letters Patent Appeal on 26.5.2011. The orders dated 14.09.2010 and 26.5.2011 passed by the High Court limited to the issue of payment of back wages, are subject matter of challenge before this Court.

3. Having given our thoughtful consideration to the controversy, we are satisfied, that after the impugned order of retirement dated 31.12.2002 was set aside, the appellant was entitled to all consequential benefits. The fault lies with the respondents in not having utilised the services of the appellant for the period from 1.1.2003 to 31.12.2005. Had the appellant been allowed to continue in service, he would have readily discharged his duties. Having restrained him from rendering his services with effect from 1.1.2003 to 31.12.2005, the respondent cannot be allowed to press the self-serving plea of denying him wages for the period in question, on the plea of the principle of "no work no pay".

8. Therefore, in these circumstances, decision of respondents not to pay salary for the period of suspension meaning thereby that the financial benefits have been confined only to the suspension allowance that may have been paid to the petitioner while he was under suspension, deserves to be set aside. The authority shall exercise their discretion afresh on relevant considerations without application of principle of "No Work No Pay" and arrive at fresh decision whether the petitioner should be allowed full salary for the period remained under suspension or confined only to the suspension allowance already paid to him. The decision shall be taken by the University as early as possible preferably within a period of three months from the date of first meeting of the Executive Council, after the date of this order.

9. Accordingly, this petition is finally disposed off.

SD/-
(Manindra Mohan Shrivastava)
Judge



Date :- 30.01.2018

The Registrar
Pt. Ravi Shankar Shukla University,
Raipur, C. G.

Subject :- Advise in the matter of the Dr. B. K. Mehta, in the light of the order passed by the Hon'ble High Court on 15.11.2017 in W.P.S. No. 1845/2017.

Respected Sir,

With due respect, it is submitted that, I have gone through the entire record of the Prof. B. K. Mehta Case, as well as the charges which were leveled against the Prof. B.K. Mehta and found as under.

- I. The Prof. B. K. Mehta had filed the Writ petition No. 1730/2006 before the Hon'ble High Court and challenged the charge sheet on the ground of the same was not issued by the appointing authority, that is the Executive Council of the University.
- II. That, vide order dated 05.06.2006, the Hon'ble High Court has directed that, the enquiry instituted against the Prof. B. K. Mehta may go on, but no final order shall be passed, till the next date of hearing.
- III. That, vide order dated 01.09.2014, the Hon'ble High Court in paragraphs no. 15 & 17, have observed as under,
15- " However, in the case at hand, this Court has already found that, there is inherent lack of jurisdiction for issuing the charge sheet, therefore, mere participation in the enquiry would not validate the enquiry when it is otherwise found to be constituted by an authority having no jurisdiction of competency to direct enquiry".
17- For the foregoing, this Court is of the considered opinion that, the petition deserves to be allowed. It is accordingly allowed. However, since this Court has not quashed the enquiry on merits, it will be open for the University to constitute enquiry, if they so desire, in accordance with law.

- IV. That, the Executive council of the University, on its meeting dated 05.11.2014, under item No.5, had passed the resolution, in respect of the Prof. B. K. Mehta case.
- V. The Prof. B. K. Mehta, through W.P.S. No. 1845/2017 had challenged the resolution of the executive Council dated 05.11.2014, to the extent, it denies full salary in respect of the period, during which, he remained under suspension.
- VI. That, looking to the reply of the University, vide order dated 15.11.2017, the Hon'ble High Court has observed in paragraph No. 4 as under,
- " Learned counsel for the respondents would submit that, apart from applying the principle of NO WORK NO PAY, other relevant considerations, as reflected from the resolution, prevailed with the authority to put an end to the dispute and close the chapter in a particular manner. He would submit that, the authority have decided not to proceed further against the petitioner, looking to the fact that, he was superannuated in the year 2008 and aged 68 years. The departmental enquiry, which the respondents could have initiated, in exercise of liberty granted by this Court on the allegation of financial irregularity and loss to the institution, was dropped. Therefore, the decision cannot be said to be illegal."*
- VII. Because the principle of "No work no Pay" is not applicable in the case, therefore the Hon'ble High Court has set aside the decision of the Executive Council dated 05.11.2014 and in the light of the provision contents in clause 60 (C) of the statute no. 31 of the University, the petition finally disposed off with a direction as under,

The authority shall exercises their discretion afresh on relevant considerations, without application of principle

of "No work No pay" and arrive at fresh decision whether the petitioner should be allowed full salary for the period remained under suspension or confined only to the suspension allowance already paid to him.

The Hon'ble High Court has further direct; the decision shall be taken by the University as early as possible preferably within a period of three months from the date of first meeting of the Executive Council, after the date of this Order.

VIII. Therefore, it is required to comply with the High Court order dated 15.11.2017, in W.P.S. No. 1845/2017 and the matter would be placed before the Executive Council of the University, for taking afresh decision in the matter, ***on the basis of the relevant material available in the record, without applying the principle of "No Work No pay.***

It is pertinent to be noted at this juncture, that, against the order dated 15.11.2017, the Prof. B. K. Mehta has filed the Writ appeal No.558/2017 before the division Bench of the Hon'ble High Court. However, the order of the Division Bench of the High Court is awaiting.

Therefore, it is my opinion that, the University, either waiting for the order of the division Bench, OR takes the steps as per order dated 15.11.2017.

NEERAJ CHOUBEY

ADVOCATE
HIGH COURT OF CHHATTISGARH
AT BILASPUR, Mb. No. 9893407057



- :: आदेश ::-

क्रमांक / 4347/ अनु. साधन/गोप./2017

रायपुर, दिनांक 12/04/2017

वर्ष 2017 की वार्षिक एवं अन्य पाठ्यक्रमों के समस्त सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश क्रमांक 05 की धारा 21 की उपधारा 06 (ए) के तहत अनुचित साधन प्रकरण (यू.एफ.एम.) निराकरण समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

1. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती — अध्यक्ष
सहा. प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर महावि. दुर्ग,
2. डॉ. अमरकान्त पाण्डेय — सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला
पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर
3. डॉ. सी. डी. अगाशे — सदस्य
आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर
4. कुल सचिव — सचिव
पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृष्ठा. क्रमांक / 4348/ अनु. साधन/गोप./2017

रायपुर, दिनांक 12/04/2017

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक ।
2. उपरोक्त सदस्यों की ओर इस निवेदन के साथ सूचनार्थ प्रेषित है कि अनुचित साधन समिति के सदस्य के रूप में अपनी सहमति शीघ्र भेजने की कृपा करें ।
3. प्राचार्य, शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातको. महाविद्यालय दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की ओर आगामी कार्यपरिषद् में सूचनार्थ रखने हेतु प्रेषित ।


उपकुलसचिव (गोप.)

Minutes – Meeting of the Question Paper (QP) Reform Committee

The meeting of the QP Reform Committee was held on 11.9.2015 at 1600 in the School of Life Sciences, PRSU, Raipur.

The following member attended the meeting:

- 1. A.K. Pati
- 2. M. Mitra
- 3. R.P. Das
- 4. A.k. Gupta
- 5. R. Venugopal

Business transacted:

- 1. The committee reviewed the previous proceedings on the concerned issue and discovered that only a few departments and colleges have given their opinion. Some of them, however, have given model question papers.
- ✓ 2. The committee unequivocally opined that the Academic Section should immediately procure sample model questions and answers from all departments and from all subjects of the PG programs. The Deans of all 12 Faculty should be given responsibility to scrutinize and finalize the model question papers and answers.
- 3. The Committee reiterated that the setting of QP and preparation of model answers are time consuming and demands sincere involvement of the setter; therefore, it would be difficult to get setters, unless attractive remuneration is provisioned for the setters with the following obligations:
 - a) The committee suggested the following:
 - b) Paper setting – Rs. 2000.00 per QP
 - c) Model answers of the above QP: Rs 1000.00
 - d) Valuation of scripts: Rs. 50.00 per script
- 4. **The committee opined that the students should be sensitized to the proposed Plan-B from this session itself during the conduct of model class tests.**
- 5. The committee also discovered that nothing tangible happened in the past one year regarding the recommendations given by the committee in the last meeting. For the sake of clarity the recommendations are quoted below:

“... the pattern of question paper suggested in Plan-B does not commensurate and comply with the Ordinances of few programs, such as in Management etc. **Therefore, it should be referred to all HoDs for their opinion regarding conflicts and contradictions with the existing statutory provisions related to examinations of their respective subjects and programs.**”

- 6. The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

Signed by:

M. Mitra

M. Mitra
10/9/15

Rajendra P. Das
R.P. Das 11/9/15

R. Venugopal
11/09/15
R. Venugopal

A.K. Gupta
11.9.15
A.K. Gupta

A.K. Pati
11.9.15
A.K. Pati

कार्य परिषद् में रखे जाने हेतु टीप :-

विश्वविद्यालय सर्वर AMC कार्य हेतु फर्म मेसर्स **Key Computers, Nagpur** को कार्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में।

निविदा आमंत्रित करने हेतु वि०वि० द्वारा निविदा सूचना क्रमांक 546/कविअ/2017 जारी किया गया। छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से उक्त निविदा आमंत्रण की सूचना दो समाचार पत्रों – एक राष्ट्रीय एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने के विज्ञापन जारी करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया। (छ.ग. संवाद:- क्रमांक-545/कविअ/2017 रायपुर, दिनांक: 04/10/2017) जिसमें निर्धारित अंतिम तिथि 24/10/2017 तक एक ही निविदा प्राप्त हुई इसलिए छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से पुनः एक राष्ट्रीय एवं एक स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 27/10/2017 को विज्ञापन जारी करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया (संशोधित निविदा सूचना क्रमांक 546/कविअ/2017, दिनांक: 27/10/2017 तथा छ.ग. संवाद को प्रेषित पत्र क्रमांक 596/कविअ/2017 रायपुर, दिनांक 27/10/2017) जिसमें अंतिम तिथि 09/11/2017 तक थी। इस दुसरे विज्ञापन पर कोई भी अतिरिक्त निविदा प्राप्त नहीं हुई इसलिए पुनः संशोधित निविदा सूचना क्रमांक 626/कुस/2017, दिनांक – 10/11/2017 जारी किया गया एवं उक्त संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना को छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से पुनः एक राष्ट्रीय एवं एक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया (संशोधित निविदा सूचना क्रमांक 626/कुस/2017, दिनांक 10/11/2017 तथा छ.ग. संवाद को प्रेषित पत्र क्रमांक 624/कविअ/2017 रायपुर, दिनांक 10/11/2017)। : पुनः निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 24/11/2017 रखा गया। अंतिम तिथि तक दो मुहरबंद निविदा प्राप्त हुए जिसे निर्धारित समिति के समक्ष खोला गया जिसमें से केवल एक फर्म की तकनीकी Bid को पात्र पाया गया। जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति उपरांत Commercial Bid खोली गयी। अतः उक्त कार्य हेतु फर्म मेसर्स Key Computers, Nagpur को दर राशि 68100/- रुपये प्रतिमाह की दर पर एक वर्ष के लिए कुल राशि 8,17,200/- में वार्षिक रखरखाव कार्य (AMC) कराये जाने के विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के अनुशंसा के पश्चात् माननीय कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ नस्ती प्रस्तुत है।

3/11/2017
16/10/2018

17-02-2018

विनियम कं.

(परिनियम 10 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित)

1. यह विनियम "चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम विनियम" के नाम से जाना जायेगा।
2. यह विनियम विश्वविद्यालय अध्ययन शाला एवं इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों पर प्रभावी होगा।
3. स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के छात्र इस पाठ्यक्रम का संबंधित सेमेस्टर के लिए घोषित प्रश्नपत्रों में से ही प्रश्न पत्र का चयन कर सकेंगे।
4. ऐसे पाठ्यक्रम जो दो ही सेमेस्टर के पाठ्यक्रम है एवं ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क अनिवार्य हो, के छात्र चॉयस बेस्ड के द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्नपत्रों का प्रथम सेमेस्टर में एवं तृतीय सेमेस्टर के प्रश्नपत्रों का द्वितीय सेमेस्टर में चयन कर सकेंगे।
5. प्रत्येक छात्र को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में मिलाकर न्यूनतम छः क्रेडिट लेना अनिवार्य है। छात्र अधिकतम दस क्रेडिट का एक ही विषय अथवा भिन्न विषय में चयन कर सकेंगे।
6. चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों को अंकसूची में अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया जावेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को स्नातकोत्तर स्तर के चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम प्रश्न पत्रों में से न्यूनतम छः क्रेडिट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
7. चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही सम्पन्न कराई जायेगी।
8. विद्यार्थी जिस अध्ययन शाला में चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन शाला द्वारा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व, चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची, प्रश्नपत्र-विषय, विद्यार्थी के प्रथम वर्ष के रोल नम्बर एवं मूल विभाग की जानकारी परीक्षा एवं गोपनीय विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किया जावेगा। कम्प्यूटरीकृत परीक्षा आवेदन पत्रों में भी इसका प्रावधान किया जावेगा।
9. ऐसे अध्ययन शाला जहाँ अध्ययन-अध्यापन के लिए प्रातः कालीन व्यवस्था है वहाँ चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम की कक्षाएं प्रातः 9 बजे से 10 बजे के मध्य एवं शेष अध्ययन शालाओं में कक्षाएं सांय 4 से 5 बजे तक आयोजित की जावेगी।
10. चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम की कक्षाएं प्रत्येक सप्ताह में प्रथम तीन दिवस में ही आयोजित की जावेगी।
11. चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम का निर्धारण, अन्य पाठ्यक्रमों की भाँति संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा किया जावेगा।

अनुमोदनांक

D. K. S.

16/10/18

16/10/18

10

समितिके महा सचिव